



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 472/एम0पी0/42/जोन-5/2013-14

दिनांक: 15.05.2013

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वृजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

यह मानचित्र भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एकल आवासीय भवन हेतु, स्वीकृत किया गया है, अन्यथा किया जाने वाला निर्माण अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा, तथा इसके विरुद्ध 60% नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भवन पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 09.04.2013 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 20.10.2011 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःशिक्षित तलपट मानचित्र संख्या 794/जोन-5/ले-आउट/2012-13 दिनांक 31.01.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/42/जोन-5/2013-14

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के भवन/खण्डों की सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर सतत निगरानी के ऊपर
आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उचित/आवश्यक
कार्रवाई करने के लिये सूचित किया जाता है।
इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्य भी
किये जायेंगे।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: ५७५/एम०पी०/४३/जोन-५/२०१३-१४

दिनांक: १५.०५.२०१३

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटैक डवलपर्स प्रा०लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
७५७, डासना, काजीपुरा मोड, एन०एच०-२४,
गाजियाबाद।

कई मानचित्र भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत
एकल आवासीय भवन हेतु, स्वीकृत किया
गया है, अन्यथा किया जाने वाला निर्माण
अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा,
तथा इसके विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं
विकास अधिनियम १९७३ की दृष्टि से कार्यवाही
किया जायेगा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक १७.०४.२०१३ के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना 'वेब सिटी' के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- ११६, १२१, १३६, १४९, १५३, ९१७, ९१९, ९३०, ९३२, ९३४, ९३६, ९३८, ९४०, ९७७, ९८३ क्षेत्रफल २४०.०० वर्ग मीटर सैक्टर-४, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

१. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी०डी०ए०) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
६. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
७. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
८. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
९. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
१०. वह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
११. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
१२. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
१३. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक ०९.०४.२०१३ का पालन करना होगा।
१४. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम ०२ पेड़ लगाना अनिवार्य है।
१५. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
१६. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की १ प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक २२.०८.२०१२ को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
१७. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
१८. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
१९. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक २०.१०.२०११ को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःशिक्षित तलपट मानचित्र संख्या ७९४/जोन-५/ले-आउट/२०१२-१३ दिनांक ३१.०१.२०१३ की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।


ग्रामर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम०पी०/४३/जोन-५/२०१३-१४

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सम्पन्न प्रकार के भवन/सुख्खार को सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा दीवारों के ऊपर
आर०सी०सी० लॉई दीव डालना उचित/आवश्यक
। जो डी०पी०सी० मैथिल सिस्टम प्रत्येक छत
शाने आवे।

- नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 610 / एम0पी0 / 52 / जोन-5 / 2014-15

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

यह मानचित्र भूखण्डों विकास के अन्तर्गत

एकल आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया

गया है, अर्थात् जिस जगह बादा निर्माण

अनाधिकृत निर्माण का श्रेणी के अन्तर्गत होगा,

तथा श्रुति जिनके अन्तर्गत नगर योजना एवं

विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के

अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त

उत्तरदायित्व भू-स्वामी का होगा।

दिनांक: 29-5-14

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2014 के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना 'वेव सिटी' के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 150 925 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सेक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

20. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
21. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
22. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
23. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
24. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
25. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
26. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
27. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
28. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
29. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
30. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
31. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
32. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 5.04.14 का पालन करना होगा।
33. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
34. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
35. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
36. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
37. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
38. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आइ0सी0सी0 टाई रींग डालना उचित / आवश्यक है। जो जी0पी0सी0 लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: 610 / एम0पी0 / 52 / जोन-5 / 2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 609/एम0पी0/53/जोन-5/2014-15

दिनांक: 29-5-2014

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

यह मानचित्र भूखण्डों के अन्तर्गत
कल आवसीय भवन हेतु स्वीकृत किया
गया है; अन्यथा बिना जाने वाला निर्माण
अनाधिकृत निर्माण को दर्ज के अन्तर्गत होगा,
तथा इसका। जो उ0प्र0 नगर योजना एवं
विकास अधिनियम 1973 की सुरक्षा धाराओं के
अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त
सुलभ निर्माण में लागू होना होगा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2014 के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवसीय भूखण्ड संख्या- 924 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सेक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवसीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 5.6.14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैंस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी याद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
इन स्तरों पर समस्त दीवारों के अघर
सी0सी0 टाई वीग डालना उचित / आवश्यक
है। सी0सी0 चेयर सिस्टम व प्रत्येक छत
पर वॉटर टैंक डाले जायें।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/53/जोन-5/2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 619 / एम0पी0 / 122 / जोन-5 / 2014-15

एकत आवासीय भवन हेतु, स्वीकृत किया गया है; अन्यथा किया जाने वाला निर्माण अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा, तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की नुसारत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2014 के सन्दर्भ में हाईटेक टाउनशिप योजना (वेब: सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय मुखण्ड संख्या- 148 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कमी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे। मानचित्र की
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.05.14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आर0सी0सी0 टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी0पी0सी0 लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

पत्रांक: /एम0पी0 / 122 / जोन-5 / 2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 620/एम0पी0/123/जोन-5/2014-15

यह मानचित्र भूखण्डों के अन्तर्गत

एक आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया

दिनांक: 18-06-2014

मैसर्स उषल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

गठन है; अन्यथा किया जाने वाला निर्माण

अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा,

तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं

विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के

अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिराका समस्त

नगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2014 के सन्दर्भ में हाईटेक टाउनशिप योजना 'वेब सिटी' के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 921, 923, 927, 976, 984 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.08.14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र, इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेसीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न तल पर समस्त दीवारों के आउटसाइड टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो सीमेंट/सी0 चेंबर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

पत्रांक: /एम0पी0/123/जोन-5/2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 621/एम0पी0/124/जोन-5/2014-15

यह मानचित्र भूखण्डों के विकास के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय विकास क्षेत्रों के भवन हेतु स्वीकृत किया गया है, अर्थात् किया जाने वाला निर्माण अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा, तथा इसके लिए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की जायेगी, जिसका सम्बन्ध

दिनांक: 18-06-2014

मैसर्स उम्ल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2014 के सन्दर्भ में हाईटेक टाउनशिप योजना एवं सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 922, 926, 975, 985 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक-22.05.14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैंस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अप्रडस्टेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी याद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आउटसी0सी0 टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी0पी0सी0 लेबर सिस्टम पर पर्येक छत के नीचे डाले जायें।

पत्रांक: /एम0पी0/124/जोन-5/2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 622/एम0पी0/125/जोन-5/2014-15

यह मानचित्र भूखण्डों के विकास के अन्तर्गत दिनांक: 18-06-2014

मैसर्स उम्ल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

एकल आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया गया है, अन्यथा किया जाने वाला निर्माण अनाधिकृत निर्माण को श्रेणी के अन्तर्गत होगा, तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुश्रुत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2014 के सन्दर्भ में हाईटैक टेक्नोलॉजि प्लानिंग एवं सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 119, 151 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.05.14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाने अनिवार्य होगा।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेकर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टेक्नोलॉजि नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनरीक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु निम्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आगरोसी0सी0 टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो टी0पी0सी0 नेचर सिस्टम व प्रायः छत के नाले डाले जायें।

पत्रांक: /एम0पी0/125/जोन-5/2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 570/एम0पी0/558/जोन-5/2013-14

दिनांक: 16-01-2014

मैसर्स उप्पल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बिजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

एकल आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया गया है; अन्यथा किया जाने वाला निर्माण अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा, तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी का होगा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2013 के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना एवं संलग्न अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 920 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मीटर सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थायी निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16/12/13 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 02 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 30.10.2013 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये पुनःशिक्षित तलपट मानचित्र संख्या 352/जोन-5/ले-आउट/2013-14 दिनांक 07.10.2013 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

(Signature)

नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/558/जोन-5/2013-14

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आर0सी0सां0 टाई बीम डालना पड़ेगा / आवश्यक है। जो डी0पी0सी0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 264/एम0पी0/592/जोन-5/2012-13

दिनांक: 5/12/2012

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

यह मानचित्र भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत
एकल आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया
गया है: अन्वया किया जाने वाला निर्माण
अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा
तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं
विकास अधिनियम 1973 की सुरंगत धाराओं के
अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2012 के सन्दर्भ में हाईटेक टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय
भूखण्ड संख्या- 108, 110, 112, 125, 127, 259, 274, 276 एवं 974 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मी0 (प्रत्येक) सैक्टर-4, पर आप द्वारा
प्रस्तुत आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.11.2012 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 01 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 20.10.2011 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र दिनांक 20.10.2011 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/592/जोन-5/2012-13

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित विभागों के आगर
आवश्यकताओं टाउन प्लान बालना उचित/आवश्यक
है। जो जी0पी0सी0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत
के मांचे झाले जाये।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 265/एम0पी0/593/जोन-5/2012-13

दिनांक: 5/12/2012

मैसर्स उप्पल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बिजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2012 के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना 'येव' सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 109, 111, 113, 126, 128, 258, 260 एवं 275 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मी0 (प्रत्येक) सेक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.11.2012 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 01 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अप्रडरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेशीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 20.10.2011 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र दिनांक 20.10.2011 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

पत्रांक: /एम0पी0/593/जोन-5/2012-13

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर 100mm टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। 100mm टाई बीम लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के बीच डाले जायें।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 268 / एम0पी0 / 596 / जोन-5 / 2012-13

दिनांक: 10-12-2012

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

मानचित्र भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत
एकल आवासीय भवन हेतु स्वीकृत किया
गया है अन्यथा किया जाने वाला निर्माण
अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा
तथा इसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं
विकास अधिनियम 1973 की सुरांगत धाराओं के

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2012 के सन्दर्भ में हाईटेक टाउनशिप योजना क्षेत्र सिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय
भूखण्ड संख्या- 132, 134, 751, 753, 755, 757 एवं 918 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मी0 (प्रत्येक) सेक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत
आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 31.05.2012 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 01 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेसीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 20.10.2011 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र दिनांक 20.10.2011 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/596/जोन-5/2012-13

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर
आवरी0सी0 टाइल वगैरह लगाना उचित/आवश्यक
है। जो की0पी0सी0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत
के नीचे खाले जायें।

नगर नियोजक



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्या: 269 / एम0पी0 / 597 / जोन-5 / 2012-13

दिनांक: 10-12-2012

मैसर्स उप्पल चडडा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि,
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वृजेश बिष्ट
757, डासना, काजीपुरा मोड, एन0एच0-24,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2012 के सन्दर्भ में हाईटैक टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड संख्या- 114, 133, 135, 750, 752, 754, 756 एवं 758 क्षेत्रफल 240.00 वर्ग मी0 (प्रत्येक) सैक्टर-4, पर आप द्वारा प्रस्तुत आवासीय मानचित्र (Typical) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। लीज पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में शासन का निर्णय मान्य होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 31.05.2012 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 01 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इस हेतु दिनांक 22.08.2012 को दी गई अण्डरटेकिंग का अनुपालन करना होगा।
17. संरचना, सुरक्षा व स्पेसीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति केवल आपके स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. हाईटैक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना के समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य आप द्वारा स्वयं अपनी लागत पर सम्पादित कराये जायेंगे तथा इस हेतु दिनांक 20.10.2011 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा साथ ही योजना हेतु प्रथम चरण में स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र दिनांक 20.10.2011 की समस्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0 / 597 / जोन-5 / 2012-13

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त प्रकार के मकान/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आर0सी0सी0 टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी0पी0सी0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

नगर नियोजक